संख्या-113/2021/830/22-2-2021-17(164)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 जुलाई, 2021***

विषय:-जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपाराम पुत्र श्री रामभजन, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपाराम पुत्र श्री रामभजन, जो ग्राम-कढेरा, थाना-रामपुर, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.08.1989 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा, कांता व भाला से मारकर 02 व्यक्तियों को सोते समय घयल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-569/1992 में भा0द0वि0 की धारा-**307**/34, 326 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 23.11.1996 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2016 द्वारा धारा-307 को सेट एसाइड करते हुए धारा-326 के अन्तर्गत 10 वर्ष की सजा को लघुकृत करते हुए 05 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.12.2020 तक 04 वर्ष, 01 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष, 09 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी के रिहा होने पर वादी पक्ष में रोष व्याप्त होने की संभावना व जान माल की हानि से इंकार नहीं किये जाने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अभी भी विद्यमान होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक सीतापुर की पुनर्विचारित आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी कृपाराम (बन्दी संख्या-371/2016) पुत्र श्री रामभजन, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-113/2021/830(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in